क्या विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध है ?

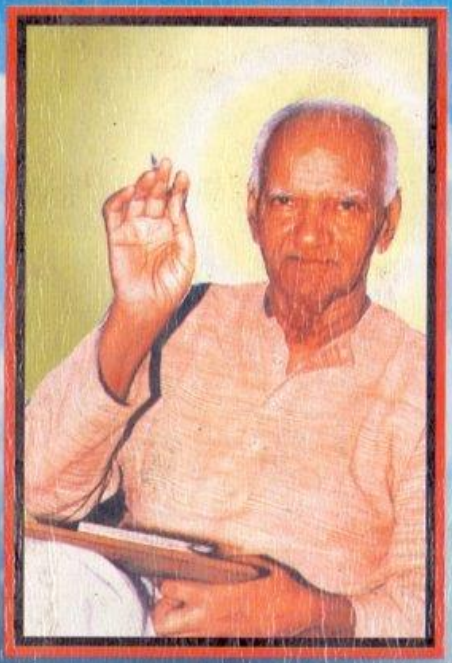

— श्रीराम शर्मा आचार्य

क्या विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध है ?

संसार भर के मनुष्यों की मान्यता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, चाहे वह नर हो या नारी अपनी इच्छानुसार विवाहित या अविवाहित जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार है । यह अधिकार मानवीय अधिकार है । इससे किसी को वंचित करना उसके नागरिक अधिकारों का हनन करना है । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबन्ध लगाना न्याय की स्पष्ट हत्या है । रोगी, कोढ़ी, पागल, नपुंसक आदि शारीरिक मानसिक असमर्थताओं से ग्रसित व्यक्तियों को विवाह के अधिकार से वंचित करना न्यायोचित हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से जो गृहस्थ का भार उठा सकने में असमर्थ हैं उन्हें भी विवाह करने से रोका जाय तो कुछ औचित्य समझ में आता है, पर जो वयस्क व्यक्ति, नर या नारी अपने लिए विवाह की आवश्यकता अनुभव करते हैं और उसके लिए शारीरिक, मानसिक दृष्टि से समर्थ हैं, उन पर इस सन्दर्भ में कोई प्रतिबन्ध रहना, मानव प्राणी को प्राप्त मूल अधिकारों के सर्वथा विपरीत है । इसलिए ऐसा प्रतिबन्ध संसार में कहीं है भी नहीं ।

इस पृथ्वी पर लगभग तीन अरब मनुष्य रहते हैं । वे पाँच महाद्वीपों और सैकड़ों छोटे-बड़े राष्ट्रों में बँटे हैं । तीन हजार से अधिक मत-मतान्तरों के वे अनुयायी हैं, पर किसी भी देश में, किसी भी धर्म में ऐसा नियम विधान नहीं है जो समर्थ व्यक्तियों को, अपने समकक्ष साथी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने पर कुछ रोक लगाता हो ? विधवा या विधुर भी सामान्य नागरिकों की तरह आखिर मनुष्य ही हैं । उनका कोई ऐसा अपराध नहीं, जिससे उनका यह मानवीय अधिकार छीन लिया जाय । संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में इस बात की छूट है कि विधुर पुरुष या विधवा स्त्री यदि विवाह की आवश्यकता अनुभव करते हों और अपने को उस उत्तरदायित्व के उठा सकने में समर्थ समझते हों तो खुशी-खुशी विवाह कर लें । उनका विवाह भी कुमार-कुमारियों की तरह उचित और न्यायानुमोदित माना जायगा । इस विश्व व्यापी मानवता के कारण सारी पृथ्वी पर कहीं भी इस तरह का प्रश्न नहीं उठता कि

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विधवा का विवाह किया जाय या नहीं ? संसार में अन्यत्र कोई इस प्रश्न को उठावे या ऐसी चर्चा करे तो उसे मूर्ख बतायेंगे और कहेंगे कि ऐसे स्पष्ट मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में भी भला कोई प्रतिबन्ध हो सकता है ? भला यह कोई चर्चा का विषय है ?

भारत में अजब–गजब तरह के अजूबे देखे जा सकते हैं । मनुष्य मनुष्य को छूकर अपवित्र हो जाता है, एक के हाथ का छुआ हुआ पानी दूसरा नहीं पी सकता, रोटी तो अपनी ही बिरादरी के एक छोटे से वर्ग के हाथ से छुई हुई ही खा सकता है । अमुक घराने में पैदा होने से कोई गया–गुजरा व्यक्ति भी देवता, पूज्य या ऊँचा माना जाना चाहिए और अमुक घराने में उत्पन्न होने पर गुण, कर्म, स्वभाव से कितना ही ऊँचा व्यक्ति सदा सामाजिक दृष्टि से हेय एवं तिरष्कृत ही किया जाना चाहिए । स्त्रियों को घूँघट से मुँह ढककर घर के पिंजड़े में कैद रहना चाहिए । उन्हें यज्ञ आदि सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए । किसी लड़की से विवाह तब करना चाहिए, जब दहेज का मनमाना मतलब पूरा कर लिया जाय । ऐसी–ऐसी अगणित हैरत भरी प्रथायें इस देश में प्रचलित हैं । इन्हें धर्म कहा जाता है । जो इन्हें नहीं मानता उसे अधर्मी ठहराया जाता है । आश्चर्य की बात इतनी है कि मानवीय मूलभूत अधिकारों की कसौटी पर सर्वथा अनुचित सिद्ध होने वाले रीति–रिवाजों को समझदार कहे जाने वाले भी क्यों स्वीकार कर लेते हैं ? क्यों उन्हें धर्म कहने का साहस करते हैं और क्यों इन उपहासास्पद मूर्खताओं को बदलने का प्रयत्न नहीं करते ?

ऐसी ही अजीब–गरीब प्रथाओं में एक प्रथा यह भी है कि विधवाओं का दुबारा विवाह नहीं होना चाहिए भले ही वे कितनी ही छोटी आयु में या गृहस्थ में प्रवेश करने से कुछ ही समय पश्चात् विधवा हो गई हों ।

कोई पुरुष या स्त्री, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, सदा कुमार रहे यह उसकी इच्छा का विषय है । कोई पुरुष या स्त्री विधुर या विधवा होने के उपरान्त शेष जीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक बिताये यह उसकी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आदर्शवादिता और प्रशंसा है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यह स्वेच्छा का विषय है, पर इस पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा अन्याय है । मानवीय अधिकारों का स्पष्ट हनन है । यदि कोई प्रतिबन्ध लगाना हो तो नर और नारी दोनों पर समान रूप से लगाना चाहिए क्योंकि दोनों ही समान रूप से मनुष्य हैं । कानून को, न्याय को स्त्री–पुरुष का भेद नहीं करना चाहिए । एक पत्नी के मर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह न करे और एक पुरुष के मर जाने पर स्त्री दूसरा विवाह न करे, यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाय तब भी एक बात समझ में आती है कि जो कुछ भला–बुरा प्रचलन हो समाज के सभी व्यक्ति समान रूप से उसका परिणाम भोगें । पर जब ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रचलन देखा जाय कि पुरुष तो विधुर होते चलने पर कई–कई विवाह करते चले जायें और स्त्री के विधवा होने पर ऐसा कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह पुनर्विवाह की बात सोच ही न सके, तो उस प्रतिबन्ध को सर्वथा पक्षपातपूर्ण, कहा जायगा और यह माना जायगा कि नारी को पददलित करने के उपरान्त उसकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया गया । उसे अकारण उत्पीड़ित किया गया ।

पतिव्रत धर्म बहुत ही उत्तम है, उसे जितना अच्छाई और खूबी के साथ निवाहा जा सकना सम्भव हो निवाहना चाहिए कि पत्नीव्रत भी ठीक उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है । पेचदार बोल्ट तभी स्थिर रह सकता है जब उसमें ढिवरी भी लगी हुई हो । ताली दोनों हाथ से बजती है, गाड़ी दो पहियों से चलती है । पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म का एक ही स्वरूप हो सकता है । खरीदने और बेचने के बाँट अलग–अलग तरह के रखे जायेंगे तो वह एक अपराध होगा । पुरुषों को छूट और स्त्रियों पर प्रतिबन्ध यह उलट–पुलट उन धूर्त पुरुषों का अन्याय ही कहा जायगा जिनके हाथ में इस तरह की प्रथा प्रचलित करने का उत्तरदायित्व रहा है । कदाचित् पूर्वकाल में प्रथा–परम्परा चलाने का अधिकार स्त्रियों के हाथ में रहा होता और वे अपने वर्ग को लाभान्वित और दूसरे पक्ष को पद–दलित करने की बात सोचतीं तो वे निश्चय ही ऐसे

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

रिवाज चलातीं कि पुरुष को विधुर होने पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए । उन्हें आजीवन पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए । हर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है उसे पतिव्रत धर्म निबाहने की आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसी प्रथा चल पड़ी होती तो हम पुरुष उसका अनौचित्य अवश्य अनुभव करते और न्याय की दुहाई देकर यह पुकार उठाते कि नर और नारी में पक्षपातपूर्ण भेद-भाव न किया जाय, दोनों के लिए एक ही तरह का कानून बनाया जाय । धर्म-मर्यादा दोनों के लिए एक-सी हो । पर आज जब नारी पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, विधुर विवाह की तरह विधवा विवाह का समर्थन करता है तो उसे धर्म विरुद्ध कहा जाता है । यदि अन्याय और पक्षपात का काम ही धर्म हो तो उसके विरुद्ध उठ खड़े होना उचित ही नहीं आवश्यक भी है । अन्याय का समर्थन करने, धर्म के आगे सिर झुकाने की अपेक्षा अन्याय के विरोध में लगते हुए अधर्मी कहलाना कहीं अधिक उत्तम है ।

जो लोग धर्म की दुहाई देकर विधवा विवाह का विरोध करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनने जितना जाना है धर्म उससे कहीं बड़ा है । प्रचलित रूढ़ियों की उलटी-सीधी वकालत करते रहना ही यदि धर्म होता हो तो ऐसा धर्म इन धर्म-ध्वजियों को ही मुबारिक रहे । यदि न्याय, औचित्य एवं सदाचरण का नाम धर्म है तो उसका स्वरूप समझने और पालन करने के लिए हम सभी को तत्पर होना चाहिए । मध्यकालीन सामन्तवादी आतंक के दिनों, जब सर्वत्र अन्याय का ही बोलेबाला था लिंग-भेद और जाति-भेद को बढ़ावा मिला । कुछ जातियाँ सवर्ण कहकर देवता बना दी गईं और कुछ जातियों को पद दलित करके पशु से भी गये बीते स्तर पर पटक दिया गया । इसी प्रकार पुरुष देवता बन बैठा और स्त्री उसके पैर की जूती-क्रीतदासी बन गई । इस अनीति के समर्थन में जहाँ-तहाँ प्रमाण भी धर्म-ग्रन्थों में ठूँस गये । फिर भी धर्म का शाश्वत प्रवाह उतने मात्र से दूषित नहीं हो सकता था । भारतीय धर्म और संस्कृति की मूल मान्यता जाति-भेद और लिंग-भेद के

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

माध्यम से किसी को ऊँचा या नीचा ठहराने की कदापि नहीं । धर्म समता और न्याय का ही पोषक हो सकता है । अतएव शास्त्रों में ऐसे प्रमाणों का भी बाहुल्य बना ही हुआ है, जिनमें जाति और लिंग भेद के आधार पर किसी प्रकार असमानता न होने देने का निषेध एवं सभ्यता का समर्थन है । विधवा विवाह के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है । धर्म की दृष्टि से विधवा विवाह और विधुर विवाह दोनों का स्तर एक है । इसलिए वैसा ही मत भी व्यक्त किया गया है । अगले पृष्ठों में ऐसे शास्त्रीय प्रमाण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें स्त्री और पुरुषों के पुनर्विवाह का औचित्य प्रतिपादित किया गया है ।

विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध केवल हिन्दुओं की सवर्ण जातियों में ही है, इसलिए उसे देश व्यापी समस्या तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक अच्छे-खासे वर्ग की समस्या तो है ही । भारत में ४६ करोड़ की जनसंख्या है, इसमें हिन्दू मात्र ३२ करोड़ हैं । १४ करोड़ मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि हैं । उनमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं । ३२ करोड़ हिन्दुओं में २० करोड़ 'अछूत' अथवा तथाकथित ऐसे 'पिछड़े' कहे जाने वाले लोग हैं जिनमें विधवा विवाह निःसंकोच होता है । संसार भर के अन्य समाजों या देशों की तरह वे भी अपने में ऐसा घिनौना पक्षपात नहीं करते जैसे ऊँची नाक वाले बने हुए सवर्ण हिन्दू करते हैं, जिनमें विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध है । ऐसे सवर्ण हिन्दू १२ करोड़ मात्र हैं । संसार की ३ अरब और भारत की ४६ करोड़ आबादी की तुलना में यह १२ करोड़ लोगों की संख्या यद्यपि नगण्य ही है, फिर भी उनमें पाया जाने वाला कोई अनुचित अन्याय अवांछनीय ही कहा जायगा । ऐसे प्रतिबन्ध किसी देश या समाज को संसार के विचारशील लोगों के सामने कलंकित ही कर सकते हैं । अच्छा इतना ही है कि सारी हिन्दू जाति इस कलंक से कलंकित नहीं है । धर्म एवं शास्त्र हर हिन्दू के लिए है । सभी उसका आदर करते हैं, उनके धर्म परायण होने में कोई सन्देह नहीं किया जायगा । केवल सवर्ण ही हैं जो अबुद्धिमत्ता पूर्ण कुरीतियों को छाती से चिपटाये बैठे हैं और धर्मात्मा बनने की डींग

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

हाँकते हैं । इसमें उन्हें लाभ कुछ नहीं हानि ही अधिक है ।

जिस जमाने में हम रह रहे हैं उसमें घरों का वातावरण वैसा नहीं, जिसमें कोई वयस्क आयु की विधवा ब्रह्मचर्य पर अटूट आस्था बनाये रह सके । प्राचीनकाल में यह प्रथा थी कि जिस घर में कोई प्रौढ़ महिला विधवा हो जाय तो उस घर के सभी नर–नारी ब्रह्मचर्य से रहने लगते थे, ताकि उस घर का वातावरण ऐसा संयमपूर्ण रहे कि विधवा को भी उसी ढाँचे में ढल जाना कठिन प्रतीत न हो । आज विधवा के ससुराल और मैके वाले सभी सपत्नीक व्यक्ति, फिर चाहे वे अधेड़ या वयोवृद्ध ही क्यों न हो चले हों, कामुक जीवन व्यतीत करते हैं, विलासिता पूर्ण वेश–विन्यास बनाते, हँसी–मजाक करते, गीत गाते और सिनेमा देखते हैं । इस तरह के उत्तेजक वातावरण में रहने पर किसी वयस्क विधवा के मन में सांसारिकता उत्पन्न न होना, वह पार्वती बनी बैठी रहेगी ऐसा सोचना वास्तविकता की ओर से आँखें बन्द कर लेना ही कहा जायगा ।

अनुचित प्रतिबन्ध अवांछनीय रास्ता ढूँढ़ता है और उससे दुःखदायक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । गुपचुप होने वाले व्यभिचार की रोमांचकारी बढ़ोत्तरी होती है । विधवाओं को बहकाने, फुसलाने वाले दुरात्माओं की अपने समाज में कमी नहीं । निकटवर्ती सम्बन्धी तक इस पाप–पंक से हाथ धोनेमें नहीं चूकते, फिर बाहर वालों का तो कहना ही क्या ? गुप्त रूप से होने वाली भ्रूण हत्याओं से भारतीय समाज बुरी तरह अभिशापित है । घरों को छोड़कर भाग खड़ी होने वाली, ठोकर खाते–खाते अन्ततः वेश्या या विधर्मी बन जाने वाली विधवाओं की संख्या कम नहीं । इस सन्दर्भ में कुछ न कहना ही उत्तम है, यदि इस सड़ान्ध भरी विभीषिका की अधिक चर्चा की जायगी और जो स्थिति है उसका नग्न स्वरूप दिखाया जायगा, तो पाठकों का हृदय विदीर्ण होने लगेगा । अन्याययुक्त प्रतिबन्ध यही कर सकते हैं, यही कर भी रहे हैं ।

विधुर समर्थ हैं । उन पर प्रतिबन्ध नहीं । फलस्वरूप वे कुमारियों से विवाह कर लेते हैं । अधिक आयु के वर और अल्पायु

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

की वधू वाले अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय इसी प्रतिबन्ध की विकृतियाँ हैं । इससे विधवाओं की संख्या और अधिक बढ़ती है । बड़ी आयु के विधुर जल्दी मरेंगे भी और अपने पीछे विधवाओं की संख्या छोड़ेंगे ही, इस कुचक्र में विधवा समस्या और अधिक उलझती चली जाती है । अनमेल विवाहों के दुहरे दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए उनसे दूनी विकृतियाँ, दूनी मुसीबतें बढ़ती हैं, फलस्वरूप समाज और भी अधिक गहरे गर्त में गिरता चला जाता है ।

सीधा और सही तरीका यह है कि संसार के सभी देशों और जातियों की तरह सवर्ण हिन्दुओं में भी विधवा विवाह का प्रचलन हो । विधुर विधवाओं से ही विवाह कर सकें । कुमारी से उनका विवाह न होने दिया जाय । इस प्रकार लाखों गृहस्थ जीवन विश्रृंखलित होने से बच जायेंगे । विधवाओं के निर्वाह का भार उनके मैके या सुसराल वालों पर पड़ता है, उससे वे झल्लाते और तिरस्कार करते रहते हैं, सताते और उत्पीड़न देते हैं । यदि विधवा विवाह का प्रचलन हो जाय तो अन्य देश समाज वालों की तरह विधवा को भी अपना नया घर बनाने की सुविधा मिल जाय । बड़ी आयु के विधुर भी अपने अभाव की पूर्ति कर सकें । दोनों के पास बच्चे हों तो वे भी मारे-मारे फिरने की अपेक्षा, उस नये सुव्यवस्थित परिवार में रहकर अपनी शिक्षा, आजीविका समुन्नति देखभाल आदि की सुविधा पा सकें तथा अपना भविष्य उत्तम बना सकें । इसमें किसी की हानि कुछ नहीं, लाभ सबका सब प्रकार है ।

विधवा विवाह धर्म के या शास्त्र के विरुद्ध है यह भ्रम सर्वथा हटा देना चाहिए । अगले पृष्ठों पर ऐसे अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म में विधवा विवाह का कभी विरोधी नहीं रहा । इसी प्रकार यह भ्रान्ति भी हटा देनी चाहिए कि यदि विधवा विवाह होने लगे तो स्त्रियाँ पतियों की सेवा न करेंगी और उन्हें जहर आदि देकर मार देंगी । संसार भर में विधवा विवाह होते हैं पर कहीं ऐसी आशंका चरितार्थ नहीं होती । पिछड़ी कही जाने वाली जिन हिन्दू जातियों में विधवा विवाह होते हैं,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वहाँ ऐसे कुकर्म होते हैं ? फिर पुरुष तो दूसरा विवाह आसानी से करते हैं वे ही कहाँ अपनी स्त्रियों की उपेक्षा करते या जहर देकर मारते हैं ? चोर का हृदय दूसरों को भी चोर की ही शक्ल में देखता है । हमारा अविश्वास और पाप ही है जो स्त्रियों के प्रति ऐसी दुष्टता भरी बात सोचता है । हमारी पुत्रियाँ, बहिनें और माता ही तो किसी की स्त्री हैं । उनमें पुरुषों की तुलना में शतांश भी दुष्टता नहीं । विधवा के विवाह के प्रचलन से वे पतियों की सेवा करना छोड़ देंगी यह सोचना भी दुष्टता है । पति दबाव से नहीं अपने गुणों से स्त्री का हृदय जीते तो उसे सदा ही पत्नी का अजस्र सहयोग मिलेगा फिर चाहे वह विधवा रही हो या कुमारी । उदारता और न्याय की दृष्टि से सोचें तो इस प्रकार की आशंकायें जो विधवा विवाह का प्रचलन होने से सोची जा सकती हैं, सर्वथा मिथ्या, निर्मूल सिद्ध होंगी ।

पति या पत्नी के मरने के बाद उसकी स्मृति में फिर विवाह न करना एक बहुत ऊँचा आदर्श है । वैसा ही जैसा घर-गृहस्थ को छोड़ कर तप करने या संन्यास धारण करके वैरागी जीवन बिताना । जो इसे निबाह सकते हों प्रसन्नतापूर्वक निबाहें । पर जो औसत दर्जे के, सामान्य स्तर के नर-नारी हैं और विवाहित जीवन से लाभ समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि वे पुनर्विवाह करके कोई अधर्म, पाप या शास्त्र-मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं । पतिव्रत और पत्नीव्रत जन्म-जन्मांतरों तक निभाया जा सके तो आदर्श है, पर यदि वह साथी के जीवित रहने तक भी पूर्ण श्रद्धा और सचाई के साथ निभ सके तो भी उसे भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य ही माना जायगा । दूसरा विवाह दूसरा जोड़ा बनाना पड़े तो उनके बीच भी पति-व्रत एवं पत्नी व्रत उतनी ही उत्तमता एवं आदर्शवादिता के साथ निबाहा जा सकता है जैसा कि पूर्व साथी के साथ उसे निबाहा गया था, ऐसे नर-नारियों के पतिव्रत धर्म एवं पत्नीव्रत धर्म में रत्ती भर भी आँच नहीं आती ।

सवर्ण हिन्दुओं में लाखों की संख्या में विधवायें हैं, उनमें से

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आधी तो ऐसी हैं जिनको बाल–विवाह के राक्षस ने अबोध अवस्था में ही विधवा बना दिया । इतनी बड़ी संख्या में असन्तुष्ट, दुःखी, उत्पीड़ित, मन मसोस कर रहने वाली अथवा अनैतिक प्रपञ्च में फँसी हुई महिलायें किसी समाज के लिए समुचित अभिशाप है । उनकी आहों से ऐसे समाज जलते डूबते ही हैं । हिन्दू समाज को इन दिनों ऐसा बहुत कुछ ईश्वरीय दण्ड सहन करना पड़ रहा है । अच्छा हो हम अनीतिमूलक परम्पराओं को त्यागें और हर नर–नारी को उसके मानवोचित अधिकारों का उपभोग करने दें । विधवा या विधुर विवाह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर समाज का कोई अनुचित प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं आवश्यकता का विषय मानकर उन्हीं लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनसे कि इसका सीधा सम्बन्ध है । दूसरे लोग धर्म, प्रतिष्ठा की परम्परा की निरर्थक बातें उठाकर इस संदर्भ में अड़ंगा उपस्थित न करें यही उचित है ।

कानूनी प्रतिबन्ध तो इसमें कुछ भी नहीं । भारतीय संविधान तथा न्याय कानून में इस प्रकार की पूरी–पूरी छूट है कि कोई विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सके । ऐसे विवाहों को वही मान्यता एवं आदर प्राप्त है जो कुमार और कुमारी के विवाह को होता है ।

वेदों में विधवा विवाह–जब लोगों ने अपने स्वार्थ व सुख–सुविधा के लिए शास्त्रीय विधान की इस प्रकार उपेक्षा करके विवाह को खिलवाड़ या एक सौदा बना लिया तो विधवा–विवाह के सम्बन्ध में यदि प्राचीन नियमों तथा आदेशों को त्याग कर मनमानी प्रथाऐं प्रचलित कर ली जायें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात ? हमने इस सम्बन्ध में जहाँ वेद, स्मृतियों, पुराणों के प्रमाणों को देखा तो उनसे यही स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराने समय में विधवा विवाह की कोई ऐसी खास समस्या लोगों के सामने नहीं थी और जिन स्त्रियों के पति असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे यदि उनकी अवस्था और स्थिति गृहस्थ–जीवन व्यतीत करने की होती थी तो वे स्वाभाविक रूप से वैसा कर सकती थीं । वेदों में इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध है ?)

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नियम प्रचलित होने के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं–

इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उपत्वा मर्त्य प्रेतम् ।
धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजा द्रविणं चेह धेहि ।।

(अथर्व–१८ ३–१)

अर्थात्– हे मनुष्य, यह जो मरे हुए पति की स्त्री तेरी भार्या है, वह पतिगृह की कामना से मरे पति के उपरान्त तुझको प्राप्त होती है । इस प्रकार वह प्राचीन सनातन धर्म का पालन कर रही है । उसके लिए तू इस लाक में स्थान देकर सन्तान और धन प्राप्त कर ।"

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गता सुमेतमुपशेष एहि ।
हस्ताग्राभा स्य दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमाभिसंबभूव ।।

(ऋग्वेद १०–१८–८)

अर्थात्–"हे नारी ! तू इस मृत पति के पास पड़ी है, अब यहाँ से उठ और जीवित पुरुषों का विचार करके इसे पाणिग्रहण करके पुनर्विवाह करने वाले पुरुष को जाया–भाव से (पत्नी के समान) प्राप्त हो ।"

अघोरचक्षुरपतिघ्न्योधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।
वीरसूर्देवृकामा स्योना शंनो भव द्विपदेश चतुष्पदे ।।

(ऋग्वेद १०–८५–४४)

अर्थात्–"हे अच्छे नेत्रों वाली, पति की अविरोधी, मंगलकारिणी पशुओं के लिए, प्रसन्नचित्त, शुभ गुण युक्त, वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली यह स्त्री दूसरे पति की कामना करती हुई हमारे मनुष्य तथा पशुओं के लिए कल्याणकारी हो ।"

इन वेदमन्त्रों से यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में, स्त्रियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । वे ही पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करके घर वालों के भोजन आदि की व्यवस्था करती थीं और वे ही सन्तानोत्पादन द्वारा जाति की रक्षा के

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

लिए वीर पुत्रों को जन्म देती थीं । इसलिए जो स्त्रियाँ कम आयु में किसी कारणवश पति हीन हो जाती थीं वे सामान्यतया अन्य पुरुष के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लग जाती थीं । उस समय यह कार्य स्वाभाविक रूप से बिना किसी हलचल या विचार विमर्श के स्वतः ही सम्पन्न हो जाता था । इसके लिए न प्रमाणों की आवश्यकता होती थी न शास्त्रार्थ की । कठिन यात्रा, अभियानों और जंगली जातियों के साथ संघर्ष करके आर्य–संस्कृत का संसार के दूर–दूर देशों में प्रसार करने वाले उन पुरुषार्थी और साहसी लोगों के लिए यह एक आवश्यकीय कार्य प्रणाली थी ।

स्मृतियों में पुनर्विवाह का विधान–जब समाज का अधिक विस्तार हो गया, बड़े–बड़े नगर और ग्राम बस गये, लोग तरह–तरह के व्यापार, व्यवसाय करके जमीन, जायदाद, धन, सम्पत्ति एकत्रित करने लगे तब यह स्थिति बदल गई तथा विवाह समस्या पर मुख्यतः उत्तराधिकार की दृष्टि से विचार किया जाने लगा–कि किसी व्यक्ति के उपरान्त उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? इसके लिए स्मृतियों में जिन पुत्रों तथा उत्तराधिकारियों का वर्णन किया गया है । उनमें एक "पौनर्भव" (पुनर्विवाह की हुई स्त्री से उत्पन्न) भी माना गया है । इसका वर्णन करते हुए 'मनुस्मृति' में कहा गया है–

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया ।
उत्पादयेत पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ।।

(मनु० ९–१७५)

इसका अर्थ मनुस्मृति के प्रमुख प्राचीन टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने इस प्रकार किया है–"जो स्त्री भर्ता से त्यागी हुई हो या जो विधवा हो गई हो, वह अपनी इच्छा से फिर भार्या बनकर (पुनर्विवाह करके) जिस पुत्र को उत्पन्न करती है वह उस व्यक्ति का पौनर्भव पुत्र ही कहलाता है ।"

यह 'पुनर्भू' का विषय केवल 'मनुस्मृति' में ही नहीं वरन् अधिकांश स्मृतियों में पाया जाता है और उससे यही प्रकट होता है कि उस समय अन्य विवाहों की तरह विधवाओं के पुनर्विवाह भी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आमतौर से होते थे और उसके लिए सामाजिक तथा राजकीय दृष्टि से आवश्यकता समझकर नियम बनाये गये थे । 'याज्ञवल्क्य स्मृति' जो हिन्दू जाति के दाय भाग का निर्णय करने में विशेष रूप से प्रमाणिक मानी जाती है, इस सम्बन्ध में कहती है–

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृत पुनः ।
स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत् ।।

अर्थात्–"अक्षतयोनि या क्षतयोनि जिसका पुनः विवाह संस्कार होता है वह 'पुनर्भू' होती है और जो कामवश पति को त्यागकर दूसरे सवर्ण का आश्रय लेती है वह स्वैरिणी कही जाती है ।"

"नारद स्मृति' में तो इस विषय को बड़े स्पष्ट और विस्तृत रूप में लिखा गया है । उसमें कई प्रकार के पुनर्विवाहों का वर्णन करते हुए बारहवें अध्याय में कहा है–

कन्यैवाक्षतयोनिर्वा पाणिग्रहणदूषिता ।
पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कार महीति ।।४५।।
देश धर्मान् वेक्ष्य स्त्री गुरुभिः या प्रदीयते ।
उत्पन्न साहसान्यस्मै सा द्वितीया प्रकीर्तिता ।।४६।।
असत्सु देवरेषु स्त्री बाँधवैः या प्रदीयते ।
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तितः ।।४८।।

अर्थात्–"जो कन्या अक्षतयोनि हो और पाणिग्रहण संस्कार के बाद ही विधवा हो गई हो तो पुनः संस्कार कर्म होने से वह पहली 'पुनर्भू' कही जाती है । जिस कन्या को व्यभिचार आदि का दोष लग गया हो, उसका देश, काल का विचार करके माता–पिता अन्य के साथ विवाह कर देते हैं, तो वह दूसरी 'पुनर्भू' होती है । अपना देवर न रहने पर जिस स्त्री को कुटुम्बीजन किसी सवर्ण व्यक्ति के साथ विवाहित कर देते हैं वह तीसरी 'पुनर्भू' होती है ।"

वशिष्ठ जी भी बाल–विधवा के विवाह का समर्थन करते हैं । वे पति के संग न रहने वाली विवाहिता को कन्या के ही समान बतलाते हैं–

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अदभिः वाचा च दत्तायाँ म्रियेतान्ये वरो यदि ।
न च मन्त्रोपनीता स्यात् कुमारी पितुरेवसा ।।
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ।।

(वशिष्ठ स्मृति अ. १७)

अर्थात्–'' यदि जल लेकर संकल्प की गई हो या वचन से दान की गई हो (अर्थात् 'वाग्दाता' हो, पर मन्त्र से संस्कार न हुआ हो) तो वह कुमारी पिता की ही है । यदि वह मर जाय तो उसका विधिवत् दूसरे के साथ विवाह कर देना चाहिए । जैसी कन्या होती है वैसी ही वह भी है ।''

'कात्यायन स्मृति' में लिखा है–

वरयित्वातुयः कश्चित् प्रणश्येत् पुरुषोयदा ।
म्रृत्वागमान् त्रीण्यतीत्व कन्यायं का वरेयद्वरम् ।।

अर्थात्–'यदि कोई व्यक्ति कन्या का वरण करके लापता हो जाय तो कुछ समय पश्चात् कन्या दूसरे वर से विवाह कर ले ।'

'नारद स्मृति' का कथन भी लगभग ऐसा ही है–

प्रतिगृह्य तु यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत् ।
त्रीतिम्रृतून् समतिक्रम्य कन्यायं वरयेद् वरम् ।।

अर्थात्–''यदि कन्या का वरण करके विदेश चला जाय तो कन्या बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर दूसरे वर को वरण कर ले ।''

अनेक पण्डित नामधारी सामान्य विधवाओं के विवाह की तो क्या बात केवल वाग्दान (सगाई) हो जाने के पश्चात् भी कन्या का दूसरे वर के साथ विवाह करना धर्म विरुद्ध बतलाकर 'पुनर्विवाह' के नियम की जड़ ही काट डालने की चेष्टा करते हैं । उनके लिए ये अनेक स्मृति वचन ध्यान देने योग्य हैं । इनमें जो 'वरण' करने का जिक्र आया है उसका आशय केवल 'वाग्दान' वाली कन्याओं से ही नहीं है वरन् पूर्णरूप से विवाहित कन्याओं से भी है । इस बात का स्पष्टीकरण सनातन धर्म के प्रसिद्ध माननीय ग्रन्थ 'निर्णयसिन्धु' के इस उद्धरण से हो जाता है–

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

"यत्तु नारदः उद्वाहिताऽपि सा कन्या नोचेत् सम्प्राप्त मैथुना । पुनः संस्कार महँत यथा कन्या तथैव सा इति । यत्तः कात्यायनः वरो यद्यन्य जातीयः पतितः क्लीव एव वा । विकर्मस्थः सगोत्रोवादासो दीर्घामयोऽपिवा । ऊढ़ाऽपिदेया सात्यस्मै सह्यभरण भूषणा ।"

अर्थात्–"नारद ने कहा है कि यदि व्याही कन्या भी पति से सम्भोग न किये हो तो फिर वैसे ही विवाह का संस्कार पा सकती है, जैसे कुमारी कन्या । कात्यायन ने कहा है कि यदि (धोखे से) पति अन्य जाति का निकल आवे, नीच कर्म करने वाला हो, पतित हो, दास हो, बहुत दिन का रोगी हो, जाति च्युत हो, नपुंसक हो तो उस ब्याही हुई कन्या को भी वस्त्र और आभूषण के साथ दूसरे से विवाह कर देना चाहिए ।"

विधवा विवाह के सम्बन्ध में सबसे स्पष्ट निर्णय 'पाराशर स्मृति' का है । इस स्मृति को कलियुग के लिए विशेष रूप से व्यवहार्य बतलाया गया है और शास्त्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने पर पण्डित लोग प्रायः उसका प्रमाण भी दिया करते हैं । इस स्मृति का आरम्भ भी इसी प्रकार हुआ है कि–अनेक मुनि–ऋषि मिलकर व्यास देव के पास गये और उनसे कलियुग के धर्मों के विषय में पूछा । व्यास जी ने कहा कि मैं इस विषय को भली प्रकार नहीं जानता, इसके लिए हमको पिताजी (महर्षि पाराशर) के पास चलकर जिज्ञासा करनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी हैं । इस पर सब मिलकर बदरिकाश्रम में निवास करने वाले श्री पाराशर जी के आश्रम में पहुँचे और उनसे कलियुग के धर्मों को वर्णन करने की प्रार्थना की ।" यही पाराशर–स्मृति की भूमिका है, जिससे प्रतीत होता है कि उसके रचयिता को अन्य युगों की अपेक्षा कलियुग की परिवर्तित प्रवृत्तियों का विशेष रूप से ध्यान था उन्होंने इस तथ्य को स्वयं प्रकट भी कर दिया है–

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमा स्मृताः ।
द्वापरे शंखलिखिता कलौ पाराशरः स्मृताः ।।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अर्थात्–"सतयुग में 'मनुस्मृति' के नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाता था, त्रेता में गौतम स्मृति माननीय थी, द्वापर में शंख और लिखित का धर्मशास्त्र काम में लाया जाता था और कलियुग के लिए पाराशर की स्मृति आचरणीय है ।"

पाराशर ने कलियुग की विशेष परिस्थिति पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि इस समय मनुष्य धर्म के सूक्ष्म रूप को भूलकर स्थूलवादी बन जायेंगे और अपने प्रत्यक्ष लाभ को देखकर ही कार्य करने लगेंगे । विवाह के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण प्रमुख रूप से शारीरिक सम्बन्ध तक सीमित हो जायगा और पारलौकिक जीवन का महत्व वे भूल जायेंगे । इसलिए उन्होंने पतिहीन स्त्रियों के पतित होने के खतरे को अनिवार्य रूप से देखा और स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दिया–

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।
पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ।।

अर्थात्–"पति के खो जाने, मरने, संन्यासी बन जाने, नपुंसक या पतित हो जाने की पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा पति कर सकने का अधिकार है ।"

'बौधायन धर्मशास्त्र' भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें धार्मिक प्रश्नों का समाधान विस्तारपूर्वक और प्रामाणिक ढंग से किया गया है । उसके रचयिता ने वर्तमान समय में होने वाले स्त्री सम्बन्धी अपराधों को ध्यान में रखते हुए 'चतुर्थ प्रश्न' में यह नियम बतलाया है–

बलाच्चेत प्रहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ।।१५।।
निसृष्टायां हुते वापि यस्यै भर्त्ता म्रियेत सः ।
सा चेदक्षतयोनि स्याद् गतप्रत्यागता सती ।
पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कार महीति ।।१६।।

अर्थात्–यदि किसी कन्या को जबरदस्ती ले जाया गया हो

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

और यदि मन्त्रों से उसका संस्कार न हुआ हो तो उसका विवाह विधिपूर्वक किसी दूसरे के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें और कन्या में किसी तरह का भेद नहीं होता ।।५५।। और जिसका विवाह संस्कार हो गया हो, पर उसका पति मर जावे और तब तक वह अक्षतयोनि हो अथवा पतिगृह आई–गई भी हो, तो भी उसका पुनर्विवाह विवाह की विधि से संस्कार किया जाना चाहिए ।५६।।

स्मृति शास्त्रों ने केवल पति के मरने से विधवा होने वाली स्त्रियों का ही उल्लेख नहीं किया है वरन् जो व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी प्रकार आपत्तिग्रस्त होकर परदेश जाकर लापता हो जाय तो कुछ वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करने के पश्चात् स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार माना गया है । इस विषय में कई स्मृतियों में विवाह करने के समय का निर्धारण किया गया है । 'नारद स्मृति' का मत इस प्रकार है–

अष्टौवर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम् ।
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ।।
क्षत्रिया षट् समाः तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम् ।
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्षे त्वितराबसेत् ।।
न शूद्रायाः स्मृतः काल एषप्रोषित योषिताम् ।
जीवित श्रूयमाने तु स्यादेश द्विगुणो विधि ।।
अप्रवृत्तौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजायतः ।
अतोऽन्यगमने स्त्रीणमेष दोषो न विद्यते ।।

अर्थात्–"जिस ब्राह्मण वर्ण की स्त्री का पति विदेश जाकर लापता हो जाय तो वह आठ वर्ष तक पति के लौटने का रास्ता देखे, पर यदि उसके सन्तान न हुई हो तो चार वर्ष तक ही रास्ता देखे । इसके पश्चात् अन्य पति का आश्रय ले सकती है । सन्तान वाली क्षत्रिय वर्ण की स्त्री छः वर्ष तक पति का रास्ता देखे और जिसको सन्तान न हुई हो वह तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे । वैश्य वर्ण की प्रसूता स्त्री चार वर्ष तक और अप्रसूता दो वर्ष तक ठहरे ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

शूद्र स्त्रियों के लिए समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यह नियम विदेश चले जाने वाले पतियों के लिए है । यदि पति का जीवित रहने का समाचार मिल जाय तो इससे दूना समय तक ठहर कर पति के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए अर्थात् ब्राह्मणी को सोलह वर्ष और आठ वर्ष, क्षत्रिया को बारह और छः वर्ष, वैश्य स्त्री को आठ वर्ष और चार वर्ष तक राह देखनी चाहिए ।"

इतना ही नहीं यदि कोई अयोग्य कुलशील व्यक्ति किसी प्रकार का छल, कपट करके कोई, कोई जाल रचकर किसी कन्या से विधिपूर्वक विवाह कर ले तो भी उसका पता लगने पर यह विवाह अमान्य किया जा सकता है और उस कन्या का विवाह दूसरी बार किया जा सकता है । इस विषय में 'शातातप स्मृति' का कथन है–

वरश्चेत् कुलशीलाभ्यां नयुज्येत कदाचन ।
न मंत्राः कारणं तत्र न च कन्यानृतं भवेत् ।।
समाच्छिद्य तु तां कन्यां बलादक्षतयोनिकाम् ।
पुनर्गुणवते दद्यात् इति शातातपो ब्रवीत् ।।

अर्थात्–"यदि वर कुल और शील में योग्य न हो तो मन्त्रों द्वारा पाणिग्रहण हो जाने पर भी विवाह वैध नहीं माना जायगा और न उससे कन्या को कोई दोष लगता है । ऐसी अवस्था में यदि कन्या अक्षतयोनि हो तो उसे जबरदस्ती छीनकर दुबारा विवाह कर देना चाहिए, यह शातातप ऋषि का मत है ।"

इन सब स्मृतिशास्त्र के प्रमाणों से इसमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि जिन विद्वानों ने निष्पक्ष भाव से विधवाओं की समस्या पर विचार किया था वे इसी निर्णय पर पहुँचे थे कि किसी स्त्री से धर्म या परम्परा के नाम पर बलात् ब्रह्मचर्य पालन कराना न तो सम्भव है न व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकारी ही । यदि शक्ति अथवा दबाव द्वारा ऐसा करने की चेष्टा की भी जायगी तो उसका परिणाम गुप्त–पाप के सिवा और कुछ न होगा । शास्त्रकारों ने स्त्री और पुरुष को आग और घी की उपमा दी है, जो यदि समीप रहेंगे तो उनमें विकार अवश्य उत्पन्न होगा । इस प्रकार की अवस्था में ही

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

व्यभिचार, दुराचार आदि को प्रोत्साहन मिलता है और उसके फलस्वरूप भ्रूणहत्या आदि जैसे महापाप तक करने पड़ते हैं । अतः ऋषियों ने यह नियम बना दिया कि जिन विधवाओं–पतिहीन स्त्रियों की अपनी इच्छा हो या उनके अभिभावक उनकी कच्ची उम्र को देखकर विवाह की आवश्यकता अनुभव करें उनको ऐसा करने की सुविधा अवश्य होनी चाहिए । इतना ही नहीं उनमें से कई की तो यह भी सम्मति है कि कम आयु की कन्या जो पाणिग्रहण संस्कार होने के पश्चात् तुरन्त विधवा हो जाय तो उसका विवाह तो अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने संसार के मर्म को कुछ जाना ही नहीं, न जिसे दाम्पत्य जीवन का, पति–व्रत का ही कुछ अनुभव है उनको आजन्म एकाकी जीवन निर्वाह करने के लिए छोड़ देना उचित नहीं है । ऐसी सर्वथा अनुभवहीन और संसार के उतार–चढ़ावों से अपरिचित बालिकाओं का आगे चलकर बहक जाना और जानकर या अनजान में अपने जीवन को नष्ट कर लेना ही अधिक संभव है । इसलिए उनका विवाह, अन्य कन्याओं की तरह कर देना ही हितकारी है ।

पुराणों में विधवा विवाह का उदाहरण–वेद और स्मृतियों के पश्चात् धार्मिक जनता में पुराणों का सम्मान किया जाता है । यद्यपि पुराण धार्मिक कथाओं और उपाख्यानों के संग्रह के रूप में ही हैं, तो भी अनेक व्यक्ति उनमें स्थान–स्थान पर निहित सिद्धान्तों तथा नियमों को भी अकाट्य मानते हैं । इतना ही नहीं जो सज्जन अपने को 'पौराणिक' कहते हैं वे तो यह दावा करते हैं कि वेद और स्मृति यद्यपि उच्च स्थान रखते हैं, पर उनका युग अब व्यतीत हो गया है और यह पौराणिक युग है । यद्यपि पुराणों में नियमबद्ध रूप से इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं पाया जाता, पर अनेक उपाख्यानों से यह प्रकट होता है कि उस समय विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियाँ आजकल की तरह पूर्णतया पराधीन नहीं थी और विधवा होने पर परिस्थिति के अनुसार विवाह भी कर सकती थीं । इस सम्बन्ध में 'पद्म पुराण' का दिव्यादेवी का उपाख्यान इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालता है, जो इस प्रकार है–

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्लक्षद्वीपे महाराज आसीत्पुण्यमति सदा ।
दिवोदासेति विख्यातः सत्यधर्मपरायणः ॥
तस्यापत्यं समुत्पन्नं नारीणमुत्तमं तदा ।
गुण रूप समायुक्ता सुशीला चारुमंगला ॥
दिव्यादेवीति विख्याता रूपेण प्रतिमा भुवि ॥
पित्रा विलोकिता सा तु रूपलावण्य संयुता ।
प्रथमे वयसि दिव्या वर्तते चारु मंगला ॥
स तां दृष्ट्वा दिवोदासो दिव्यादेवा सुता तदा ।
कस्मै प्रदीयते कन्या सुवराय महात्मने ॥
इति चिन्तापरो भूत्वा समालोच्य नृपोत्तमः ।
रूप देशस्य राजानं समालोक्य महीपतिः ।
चित्रसेन महात्मानं समाहूय नरोत्तमः ॥
कन्या ददौ महात्माऽसौ चित्रसेनाय धीमते ॥
तस्या विवाहयज्ञस्य सप्राप्ते समये नृप ।
मृतोऽसौ चित्रसेनस्तु काल धर्मेण वै किल ॥
दिवोदासस्तु धर्मात्मा चिन्तयामास भूपतिः ।
ब्रह्मणान्स समाहूय प्रपच्छ नृपनन्दनः ॥
अस्या विवाह कालेतु चित्रसेनो दिवंगतः ।
अस्यास्तु कीदृश कर्म भविष्य तद्ब्रुवन्तु मे ॥

॥ ब्राह्मणाऊचुः ॥

विवाहे जायते राजन् कन्यायास्तु विधानतः ।
पतिर्मृत्युं प्रयातस्या नोचेत्सर्ग करोति च ॥
महाव्याधिभिभूतश्च त्यागं कृत्वा प्रयातिवा ।
प्रव्रजितो भवेद् राजन धर्मशास्त्रेषुदृश्यते ॥
उद्वाहितायां कन्यायामुद्वाहः क्रियते बुधैः ।
न स्याद्रजस्वला यावदन्येष्वपि विधीयते ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विवाहन्तु विधानेन पिता कुर्यान्न संशयः ।।
एवं राज्ञा समादिष्टो धर्मशास्त्रार्थ कोविदैः ।
विवाहार्थं समायात इन्द्रप्रस्थं द्विजोत्तमैः ।।
दिवोदासः सुधर्मात्मा द्विजानां च निदेशतः ।
विवाहार्थं महाराजा उद्यमं कृतवांस्तदा ।।
पुनर्दत्ता ततोतेन दिव्यादेवी द्विजोत्तमाः ।
रूपसेनाय पुण्याय यस्मै राज्ञे महात्मने ।
पुत्युधर्मं गतो राजा विवाहस्य समीपतः ।।
यदा-यदा महाभागो दिव्या देव्याश्च भूमिप ।
चक्रे विवाहं तद् भर्त्ता म्रियते लग्नकालतः ।।
एक विंशति भर्त्तारः काले-काले मृतास्तदा ।
ततोराज्ञा महादुःखी संजात ख्यात विक्रमः ।।
समालोच्य समाहूय मन्त्रिभिः सह निश्चितः ।
स्वयंवरे तदा बुद्धिश्चकार पृथिवी पतिः ।।
प्लक्षद्वीपस्य राजानः समाहूता महात्मना ।
स्वयंवरार्थमाहूतास्तथा ते धर्मतत्परा ।।

(पद्म पुराण, भूमि खण्ड अध्याय-८५)

अर्थात्-"प्लक्ष द्वीप में सदा पुण्यमति, सत्यधर्म में परायण प्रसिद्ध महाराज दिवोदास रहता था । उसके उसी समय स्त्रियों में उत्तम गुण और रूप युक्त, सुशील, चारु, मंगल, संसार में विख्यात रूपवाली 'दिव्यादेवी' नाम की कन्या ने जन्म लिया । जब पिता ने देखा कि यह पूर्ण युक्ती, रूप और लावण्य से युक्त और सुन्दर हो गई है, तब वह यह सोचकर कि यह कन्या किसे विवाही जाय, चिन्ता करने लगा । उसने रूपदेश के राजा चित्रसेन को उपयुक्त देखकर उसी के साथ दिव्यादेवी का विवाह कर दिया । उसके विवाह यज्ञ के समय ही काल-धर्म से राजा चित्रसेन की मृत्यु हो गई । तब धर्मात्मा दिवोदास ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा-"इसके

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विवाह के समय ही चित्रसेन का देहान्त हो गया, अब आप बतायें कि मुझे क्या करना चाहिए ।"

ब्राह्मणों ने उत्तर दिया–"कन्या का विवाह तो विधि के अनुकूल हो सकता है, यदि उसका पति मर जाय और पति के साथ उसका संग न हुआ हो, या पति को महारोग लग जाय, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है । विवाहिता कन्या का बुद्धिमान लोग फिर दूसरे के साथ विवाह कर देते हैं, जब तक वह रजस्वला नहीं हुई । विधि अनुकूल पिता उसका विवाह कर दे । इसमें कोई संशय नहीं ।'

"जब धर्मशास्त्र के ज्ञाता पण्डितों ने राजा को ऐसा उपदेश दिया तो धर्मात्मा दिवोदास ने उसके विवाह का फिर उद्यम किया और राजा रूपसेन के साथ उसका विवाह कर दिया, परन्तु विवाह के समय राजा रूपसेन भी मर गया । जब–जब राजा दिव्यादेवी का विवाह करता तब–तब विवाह के समय ही उसका पति मरता जाता । इस प्रकार जब उसके इक्कीस पति मर गये तो राजा दिवोदास बहुत दुःखी हुआ और मन्त्रियों से सलाह करके उसके स्वयंवर की तैयारी करने लगा । उसने प्लक्षद्वीप के सब राजाओं को निमन्त्रण दिया और वे सब स्वयंवर–यज्ञ में एकत्रित हुए ।"

यह उपाख्यान बहुत बड़ा है, पर ऊपर दिये गये वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पद्मपुराण के रचयिता की दृष्टि से अक्षतयोनि विधवाओं का विवाह सर्वथा धर्मानुकूल था । उस अवसर पर ब्राह्मणों ने महाराज को वही व्यवस्था दी जो 'पाराशर' आदि स्मृतियों में पाई जाती है कि यदि विवाह हो जाने पर भी कन्या का पति किसी प्रकार शीघ्र ही मर जाय या किसी अन्य प्रकार से उससे वियुक्त हो जाय तो उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए । ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तो–दो नहीं इक्कीस बार विवाह करने को भी धर्म विरुद्ध नहीं बतलाया है ।

महाभारत में स्वयं अर्जुन द्वारा एक विधवा से विवाह किए जाने का वर्णन है–

अर्जुनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीर्यवान् ।
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ।।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

ऐरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना ।
पत्यौहते सुपर्णेन कृपणा दीन चेतना ।।

अर्थात्—"नागराज की कन्या से अर्जुन का एक बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इरावान था । उसका विवाह ऐरावत के साथ हुआ था, पर जब उसे सुकर्ण ने मार डाला तो नागराज ने उसका पुनः विवाह अर्जुन के साथ कर दिया ।"

इस प्रकार की कथायें प्राचीन ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं । महाभारत में स्पष्ट रूप से नियोग का भी विधान है और उसके कथनों के आधार पर तो समस्त पाण्डव नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे और सम्भवतः इसी कारण कौरवों ने उनको राज्य दिये जाने का इतना विरोध किया था और भीष्म पितामह भी उनका प्रकट रूप में समर्थन नहीं कर सके थे ।

प्रचलन कैसे हो ?—आमतौर से लोग अपने घरों की विधवाओं के सम्बन्ध में यह घिसा—पिटा रिकार्ड दुहराते रहते हैं कि—"लड़की कहती है कि ईश्वर की मर्जी मेरे को विधवा रखने की ही है तो उसे कौन टालेगा ? दूसरा विवाह कर लूँ और वह भी मर जाय तो फिर क्या करूँगी ? यह उत्तर घर वाले अपनी मर्जी चलाने—पुनर्विवाह होने पर अपनी प्रतिष्ठा घटने के भय से गढ़ लेते हैं । बेचारी विधवा सबके सामने कुछ कह तो सकती नहीं और न अभिभावकों की इसी तोतारटंत—मनगढन्त का खण्डन ही कर सकती है । अतएव घर वाले लड़की का बहाना लेकर वस्तुतः स्वयं उसे रोकते रहते हैं ।

यदि लड़की को जरा जोर देकर इस ढंग से समझाया जाय कि घर के लोग वस्तुतः उसके विवाह के पक्ष में है और उसमें कुछ भी अनुचित नहीं समझते तो यह निश्चित है कि ९९ प्रतिशत विधवाओं का उत्तर विवाह के पक्ष में ही होगा । कदाचित् ही कोई मना कर पावे । लड़की की इच्छा जानने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो सकती । समर्थन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते चलिए प्रसन्नतापूर्वक वह सहमति का मत व्यक्त कर देगी ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पूछने का ढंग औंधा हो तो बेचारी आखिर क्या कहे ? घर वालों की मर्जी जो है, होगा तो वही, फिर वह अपनी बात क्यों गँवावे, तब उसे वैसा ही 'ना' का उत्तर देना पड़ेगा जैसा कि घर वाले वस्तुतः उसके मुँह से निकलवाना चाहते हैं । यदि उसकी मर्जी जाननी है तो वाक्–छल से उन्हें भ्रमाया जाय ।

चूँकि पिछले दिनों सवर्ण हिन्दुओं में इस सम्बन्ध में कठोर प्रतिबन्ध रहा है । उसे तोड़ने और सहज स्थिति लाने के लिए आरम्भ में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे । जो विधुर दुबारा विवाह करने वाले हैं उन्हें विधवा विवाह का ही संकल्प करना चाहिए । ढूँढ़–तलाश करने पर वे उपयुक्त सम्बन्ध अवश्य प्राप्त कर लेंगे । पिछले दिनों इस सम्बन्ध में पुरुष जाति ने जो अनीति बरती है इसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ आदर्शवादी कुमार युवकों को आगे आना चाहिए और विधवा से ही विवाह करके अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए ।

पुनर्विवाह की उपयोगिता धर्म प्रतिबन्ध सम्बन्धी भ्रान्ति का निवारण और मानवोचित अधिकारों की प्रतिष्ठापन सम्बन्धी विचारशीलता से जितने अधिक लोगों का मस्तिष्क प्रभावित किया जा सके उतना ही भारतीय धर्म और संस्कृति की अधिक सेवा होगी । सामान्य स्थिति आ जाने पर फिर इस प्रकार के आन्दोलन की आवश्यकता न रहेगी । अभी प्रारम्भ में तो इस सम्बन्ध में बहुत बड़े प्रयत्न करने और साहसपूर्ण कदम उठाये जाने की आवश्यकता रहेगी ।

मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org